



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
☎ (0755) 2464428, 2466191, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com



क्रमांक

/प्रनिबो/2022/आई.टी. ४८११

भोपाल, दिनांक

// कार्यालय-आदेश //

स्थापित इकाईयों द्वारा सम्मति/सम्मति नवीनीकरण/प्राधिकार इत्यादि हेतु ऑनलाईन प्राप्त आवेदन के प्रकरणों को दस्तावेजों के अभाव में अनावश्यक रूप से निरस्त नहीं किया जावे। उद्योगों/संस्थानों द्वारा उचित जल एवं वायु प्रदूषण संबंधी व्यवस्था न होने व इनके संचालन की स्थिति नहीं पाये जाने पर अथवा सम्मति शर्तों का पालन न करने की स्थिति में आवेदन निरस्तीकरण किया जावे व इसका विवरण निरीक्षण प्रतिवेदन एवं निरस्तीकरण पत्र में अनिवार्य रूप से किया जावे। इकाई का यूजर आई.डी. ब्लॉक किया जाये तथा जिसका अनब्लॉक विशेष परिस्थिति में किया जाये। तदुपरांत जल/वायु अधिनियम की धारा 33 'क' / 31 'क' अनुसार संस्था के विरुद्ध कार्यवाही अथवा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का स्पष्ट प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाये तथा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 27-5-2022

पृ.क्रमांक 2450 /प्रनिबो/2022
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त यूनिट हेड/एच.ओ. स्टॉफ, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर पालनार्थ।
4. समस्त आंचलिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/जिला अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर पालनार्थ।
5. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/प्रभारी, आई.टी. शाखा।

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव